

6

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्रधिकार सं प्रकाशक
PUBLISHED BY AUTHORITY

पृ. 29]
No. 29]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 29, 1996/माघ 9, 1917
NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 29, 1996/MAGHA 9, 1917

कल्याण मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 1996

संख्या 12011/2/96-बी.सी.सी.—चूंकि सोमवार दिनांक 13 सितम्बर, 1993 के भारत के राजपत्र के असाधारण अंक के भाग-I खण्ड-1 संख्या 186 में प्रकाशित कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के संकाय संख्या 12011/68/93-बी.सी.सी. (जी) दिनांक 10 सितम्बर, 1993 के द्वारा असम राज्य की सामान्य सूची के क्रमांक-18 पर राजवंशी कोच शामिल किया गया था एवं चूंकि अब यह वर्ग असम की (असम में जिलों को छोड़कर) अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल कर लिया गया है, अतः संकाय संख्या में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :-

“क्रम संख्या 18 एवं प्रविष्टि यथा राजवंशी कोच को हटा दिया जाएगा।”

ए.के. चौधरी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF WELFARE

RESOLUTION

New Delhi, the 27th January, 1996

No. 12011/2/96-BCC.—Whereas by the Resolution of the Government of India, Ministry of Welfare bearing No. 12011/68/93-BCC (C) dated 10th September, 1993 published in Extraordinary issue of the Gazette of India, Part I, Section-1, No. 186, Monday, September 13, 1993 in the State: Assam: Common List, Rajbanshi Kochi was included against Sl. No. 18 and whereas the said community has now been included in the list of Scheduled Tribes of Assam (excluding Autonomous Districts), therefore the following amendment is made in the said Resolution namely :-

“Sl.No. 18 and the entry namely 'Rajbanshi Kochi' shall be omitted.”

A. K. CHAUDHARY, Jr. Secy.

250 GI/96

(1)